न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 44/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 3.12.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

ललित सिंह पुत्र स्व0 लालसिंह जाति राजपूत निवासी–ग्राम रतनपुरा थाना सारोला जिला झालावाड(राज0)।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड। ... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दिनेश सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 35/18 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम ललित सिंह मे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता के नाम 12 बोर बन्दूक सं0 7038 का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1183/85 को उनके स्वर्गवास पश्चात उनके विधिक वारिस के रूप मे 12 बोर गन का फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट " लाईसेन्स जारी करने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्स दिया जाना उचित नही है " को आधार बनाकर आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/2860–63 दिनांक 1.4.2015 से आवेदन पत्र निरस्त किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 45/15 न्यायालय हाजा मे पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील मे पारित निर्णय दिनांक 4.1.2016 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स दिये जाना उचित नही होना वर्णित करते हुये प्रेषित असहमति की रिपोर्ट के मध्यनजर तत्कालिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार तत्तसमय किये गये किसी भी आदेश बाबत वर्तमान परिपेक्ष्य मे कोई आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही होना वर्णित करते हुये पूर्व मे कार्यालय द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/2860–63 दिनांक 1.4.2015 को यथावत रखे जाने का दिनांक 17.1.2018 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि जेरअपील आदेश विधि एवं न्याय संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई फौजदारी केस दर्ज नही हुआ है जो उसके आदतन अपराधी होने की पुष्टि करता हो इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्पीकिंग आर्डर आधार सहित पारित नही करने मे विधिक भूल की है। अपीलांट अनुज्ञप्तिधारी स्व0 लालसिंह का वारिस है उसके द्वारा शस्त्र के रख रखाव, संचालन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। अपीलांट कृषक भी है तथा कृषि कार्य मे जंगली पशुओ से रक्षार्थ एवं आत्मसुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता होने के बावजूद भी अपीलांट के पक्ष मे आदेश पारित नही करने मे विधिक भूल की है। अपीलांट के विरूद्ध आर्म्स 1961 के किसी भी प्रावधान के उल्लधंन का आरोप नही है। अपीलांट ने नाम हस्तान्तरित करवाने एंव अनुज्ञाप्ति पत्र जारी करवाने हेतु सम्पूर्ण

संभागीय आयुक्त

आवश्यक दस्तावेज एवं औपचारिकतायें पूरी कर दी गई थी इसके बावजूद भी उक्त जेरअपील आदेश पारित कर विधिक भूल कारित की है। अतः जिला मजि0 झालावाड का आदेश निरस्त कर अपीलांट के पक्ष मे उक्त 12 बोर बंदूक नं0 7038 का फोती लाईसेन्स जारी करने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्पीकिंग आर्डर आधार सहित पारित नही किये जाने से विधि एंव कानून मे संचित तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट मे निहित प्रावधानों के उल्लधन का कोई आरोप नही है तथा ना ही कोई आपराधिक गतिविधि मे संलिप्तता है। शस्त्र के रख रखाव व संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। कृषि कार्य एवं जगली जानवरों से आत्मरक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी अपने स्व0 पिता लालसिंह के नाम दर्ज गन का फौती लाईसेन्स अपने नाम कराने हेतु आवेदन पत्र सभी आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर प्रस्तुत किया था जिस पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त नही है। उत्तराधिकार की अवधारणा पर अपीलार्थी को लाईसेन्स जारी किये जाने मे किसी प्रकार की बाधा नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम उत्तराधिकार की अवधारणा लाईसेन्स जारी करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने स्व0 पिता लालसिंह के अनुज्ञापत्र सं0 1183/85 मे दर्ज 12 बोर बन्दूक का उत्तराधिकार अवधारणा के तहत अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट दिनांक 17.4.2015 अनुसार " लाईसेन्स जारी करने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्स दिया जाना उचित नही है" उल्लेखित किये जाने के आधार पर निरस्त किया है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा अपील सं0 45/15 न्यायालय हाजा मे पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील मे पारित निर्णय दिनांक 4.1.2016 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना मे तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स दिये जाना उचित नही होना वर्णित करते हुये प्रेषित असहमति की रिपोर्ट के मध्यनजर तत्कालिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार तत्तसमय किये गये किसी भी आदेश बावत वर्तमान परिपेक्ष्य मे कोई आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही होना वर्णित करते हुये पूर्व मे कार्यालय द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/2860–63 दिनांक 1.4.2015 को यथावत रखे जाने का दिनांक 17.1.2018 को जेरअपील निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्पीकिंग आदेश आधार सहित पारित नही किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट मे निहित प्रावधानों के उल्लधन का कोई आरोप नही है तथा ना ही कोई आपराधिक गतिविधि मे संलिप्तता है। शस्त्र के रख रखाव व संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। कृषि कार्य एवं जंगली जानवरों से आत्मरक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी अपने स्व0 पिता लालसिंह के नाम दर्ज गन का फौती लाईसेन्स अपने नाम कराने हेतु आवेदन पत्र सभी आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर प्रस्तुत किया था जिस पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त

न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त नही है। उत्तराधिकार की अवधारणा पर अपीलार्थी को लाईसेन्स जारी किये जाने मे किसी प्रकार की बाधा नही है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गोर किये बिना जेरअपील आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील स्पीकिंग आदेश मे समुचित तथ्यों का अभाव रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सदभाविक आवश्यकता एवं गुणावगुण पर विचार कर समुचित तथ्यों का अवलोकन करते हुये अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः तथ्यात्मक स्पीकिंग आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त,
कोटा।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा